

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- कमलेश
पिता/पति का नाम :- श्री परसराम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1001**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दिनेश कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम :- स्व.श्री अमरनाथ ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1002**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- तेजपुंज भंडारी
पिता/पति का नाम :- श्री सुपाल सिंह भंडारी
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1003**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- कोमल प्रसाद
पिता/पति का नाम :- श्री साहल लाल दीवान
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1004**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रेमन सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री मनीराम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1005**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- टिकेश्वर ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री रेवाराम ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1006**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार कंवर
पिता/पति का नाम :- श्री भाकू लाल कंवर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1007**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में **आईडी प्रूफ (पहचान पत्र)** जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अजीत कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री जगदीप
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1008**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- भूपेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री भक्तुराम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1009
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 13/02/2025 (दिन गुरुवार)
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रपाल टेकाम
पिता/पति का नाम :- श्री समेलाल
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1010**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जगदीश कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री रामभरोस
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1011**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- हेमन्त कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री नकुल सिंह ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1012**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विवेक कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री राजू
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1013**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अभिषेक कुमार कुजुर
पिता/पति का नाम :- श्री सुदर्शन कुजूर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1014**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रूपेश कुमार भगत
पिता/पति का नाम :- श्री माहन राम भगत
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1015**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रामेन्द्र सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री मुन्नी राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1016**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अंकित मिंज
पिता/पति का नाम :- श्री लीलाधर मिंज
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1017**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- टीकम चन्द कोलियारे
पिता/पति का नाम :- श्री भागचन्द कोलियारे
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1018**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विजेन्द्र कुमार तिग्गा
पिता/पति का नाम :- श्री प्रसोत्तम तिग्गा
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1019**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नरेश कुमार पोर्ते
पिता/पति का नाम :- श्री देवलाल सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1020**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- मोहनीश कुमार दीवान
पिता/पति का नाम :- श्री सूरज कुमार दीवान
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1021**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- बद्रीनारायण पटेल
पिता/पति का नाम :- श्री रत्नाशंकर पटेल
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1022**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में **आईडी प्रूफ (पहचान पत्र)** जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विनोद कुमार
पिता/पति का नाम :- स्व. ठाकुर राम नगारची
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1023**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- भाव सिंह कंवर
पिता/पति का नाम :- श्री लल्लू सिंह कंवर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1024**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- लाल सिंह उइके
पिता/पति का नाम :- श्री देवप्रताप सिंह उइके
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1025**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही /-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- टुकेश्वर
पिता/पति का नाम :- श्री पुना राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- 1026
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- 13/02/2025 (दिन गुरुवार)
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- परमेश्वर सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री लच्छना सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1027**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सतीश कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री खेम सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1028**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रामनारायण गोंड
पिता/पति का नाम :- स्व श्री चमरू गोंड
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1029**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रेम लाल
पिता/पति का नाम :- श्री वीरसिंग
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1030**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही /-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आस्तिक तिकी
पिता/पति का नाम :- श्री मंगल साय
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1031**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विष्णु ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री हरिशचन्द्र ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1032**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नागेश्वर मंडावी
पिता/पति का नाम :- श्री रामखिलावन मंडावी
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1033**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जितेन्द्र सिदार
पिता/पति का नाम :- श्री गाडाराम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1034**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जगेश्वर ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री भारत ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1035**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- टेकलाल
पिता/पति का नाम :- श्री रूपराय
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1036**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- तमेश्वर कंवर
पिता/पति का नाम :- स्व.श्री सुकलाल कंवर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1037**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- ओंकार
पिता/पति का नाम :- श्री रामनाथ
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1038**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- उमाशंकर ठाकुर
पिता/पति का नाम :- श्री बिसहत राम ठाकुर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1039**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- गालेश्वर कुमार दीवान
पिता/पति का नाम :- श्री पुनित राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1040**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- चन्दन सिंह ध्रुव
पिता/पति का नाम :- स्व. मोहन लाल ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1041**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- पंकज उराव
पिता/पति का नाम :- श्री भगतराम उरांव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1042**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जितेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री दुर्योधन
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1043**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नूतन कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री रामजी
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1044**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- योगेन्द्र कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री चतुर सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1045**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- डूमर सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री नोहर लाल
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1046**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सत्यम सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री शंकरलाल
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1047**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- परमेश कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री रामरतन मरकाम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1048**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नितेश कुमार ठाकुर
पिता/पति का नाम :- श्री पुकराम ठाकुर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1049**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- धनराज
पिता/पति का नाम :- श्री लक्ष्मण
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1050**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- राकेश कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री जगताराम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1051**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रूपेश कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री कार्तिक राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1052**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रेमसिंह ठाकुर
पिता/पति का नाम :- श्री गुलाब सिंह ठाकुर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1053**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दीपक राम नेताम
पिता/पति का नाम :- श्री हीरालाल नेताम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1054**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- राम बिशाल पैकरा
पिता/पति का नाम :- श्री रतिराम पैकरा
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1055**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार मरावी
पिता/पति का नाम :- श्री कपिल मरावी
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1056**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रवीण कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री परसराम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1057**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रवि भूषण प्रताप सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री लोमश सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1058**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विरेन्द्र कुमार बांसकर
पिता/पति का नाम :- श्री बिसहत बांसकर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1059**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- लिंगराज
पिता/पति का नाम :- श्री मोहित नाग
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1060**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- आकाश तोकल
पिता/पति का नाम :- स्व. भरत तोकल
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1061**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विनोद कुमार हिचामी
पिता/पति का नाम :- श्री नरसू राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1062**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही / -
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रामभजन सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री शिवशंकर सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1063**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रामू लाल ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री कुमार राम ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1064**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- धनुर्जय
पिता/पति का नाम :- श्री सालिक राम सिदार
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1065**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- घनश्याम
पिता/पति का नाम :- श्री डिलीसाय
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1066**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अटकेश्वर
पिता/पति का नाम :- श्री पुनित राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1067**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- हरिकृष्ण सिंह ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री छत्तर सिंह ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1068**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दशरथ राम भगत
पिता/पति का नाम :- श्री सरजू राम भगत
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1069**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- थान सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री लेखराम धुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1070**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रवीण कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री धरम सिंह ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1071**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जितेन्द्र सिंह कमल
पिता/पति का नाम :- श्री रामसनेही कमल
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1072**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- अनिल भगत
पिता/पति का नाम :- श्री हिराराम भगत
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1073**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- उगेश कुमार ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री मोहन सिंह ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1074**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- चन्द्रशेखर
पिता/पति का नाम :- श्री सुरीत राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1075**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- टिकेश्वर
पिता/पति का नाम :- श्री फागू राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1076**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में **आईडी प्रूफ (पहचान पत्र)** जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रविशंकर
पिता/पति का नाम :- श्री भुवन
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1077**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- वासुदेव मरकाम
पिता/पति का नाम :- श्री दम्भूराम मरकाम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1078**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- कृष्ण कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री सियाराम ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1079**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- खोलू राम पैकरा
पिता/पति का नाम :- श्री उमराव सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1080**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही /-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दिलीप कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री हरि राम
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1081**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- घनश्याम ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री फलित सिंह ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1082**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- संजय कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री पवन कुमार
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1083**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- नीरज कुमार ठाकुर
पिता/पति का नाम :- श्री दुजराम ठाकुर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1084**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- शुभम ध्रुव
पिता/पति का नाम :- श्री सुखदेव ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1085**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में **आईडी प्रूफ (पहचान पत्र)** जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- मनोज कुमार गोंड
पिता/पति का नाम :- श्री मुन्ना गोंड
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1086**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- ओमप्रकाश
पिता/पति का नाम :- श्री देवी सिंह ठाकुर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1087**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दीपक ठाकुर
पिता/पति का नाम :- श्री पुरुषोत्तम ठाकुर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1088**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- फगेश राम कंवर
पिता/पति का नाम :- श्री होलू राम कंवर
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1089**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- **जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द**
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- **दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक**

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही /—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जयप्रकाश
पिता/पति का नाम :- श्री पवन कुमार
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1090**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- सचिन कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री दशरथ सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1091**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- दिलावर सिंह सिदार
पिता/पति का नाम :- स्व.श्री मंगल सिंह सिदार
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1092**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

**दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु**

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- भगवानी दीवान
पिता/पति का नाम :- श्री दौलत राम दीवान
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1093**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रकाश
पिता/पति का नाम :- श्री मानसिंग ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1094**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- जयन्त कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री राजेन्द्र कुमार
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1095**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- महिपाल सिंह
पिता/पति का नाम :- श्री दिलहरण सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1096**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- गोविन्दा
पिता/पति का नाम :- श्री दयाराम ध्रुव
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1097**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेंगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विवेक सोरेन
पिता/पति का नाम :- श्री चन्द्रिका प्रसाद सोरेन
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1098**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- विजय कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री जयपाल सिंह
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1099**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही /—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- प्रशान्त कुमार
पिता/पति का नाम :- श्री कृष्ण कुमार
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1100**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगा।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- पंकज कुमार भगत
पिता/पति का नाम :- श्री जगदीश राम भगत
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1101**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/-
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- रथराम पैकरा
पिता/पति का नाम :- स्व.श्री राम पैकरा
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1102**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में **आईडी प्रूफ (पहचान पत्र)** जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द (छ.ग.)

प्रवेश-पत्र

दक्षता/कौशल परीक्षा
वाहन चालक के पद हेतु

अपना
स्वहस्ताक्षरित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज का रंगीन
फोटो चस्पा करें।

परीक्षार्थी का नाम :- राबिन जगत
पिता/पति का नाम :- श्री श्रवण जगत
वर्ग :- अनुसूचित जनजाति
परीक्षार्थी का अनुक्रमांक :- **1103**
परीक्षा केन्द्र का नाम :- जिला न्यायालय परिसर महासमुन्द
परीक्षा का दिनांक :- **13/02/2025 (दिन गुरुवार)**
परीक्षा का समय :- दोपहर 2:00 बजे से शाम 3:00 बजे तक

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

सही/—
अध्यक्ष भर्ती समिति
जिला न्यायालय महासमुन्द (छ0ग0)

परीक्षार्थी के लिये अनुदेश

- 1 परीक्षार्थी को परीक्षा स्थल में दक्षता/कौशल परीक्षा में दोपहर 12 बजे तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा एवं दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। दस्तावेज सत्यापन नहीं होने पर दक्षता/कौशल परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा तिथि को मूल दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा।
- 2 परीक्षार्थी को दक्षता/कौशल परीक्षा के दिन अपना प्रवेश-पत्र के साथ पहचान पत्र के रूप में आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे ड्राइविंग लायसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/मतदान परिचय पत्र/स्मार्ट कार्ड लेकर परीक्षा हेतु उपस्थित होना होगा। अन्यथा कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 3 दक्षता/कौशल परीक्षा में किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, वर्जित कागजात, मोबाईल फोन, डिजिटल सामग्री आदि रखना वर्जित है। अन्यथा परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित किया जावेगा, जिसके लिये परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 4 यदि परीक्षार्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र में अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण जानकारी दी है या वह वांछित पद हेतु योग्यता पूर्ण नहीं करता है, की सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी। परीक्षार्थी त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण जानकारी अथवा अयोग्यता के आधार पर परीक्षार्थी को बिना सूचना दिये चयन के किसी भी स्तर पर, उनका चयन निरस्त किया जा सकेगा।
- 5 प्रवेश पत्र में दिये गये निर्धारित स्थान पर आवेदन-पत्र में संलग्न किये गये पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो के अनुरूप ही फोटो चिपकाना/चस्पा करना अनिवार्य हैं। फोटो में भिन्नता पाये जाने पर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- 6 कौशल परीक्षा हेतु परीक्षार्थी को स्वयं के व्यय पर परीक्षा तिथि को प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित स्थान एवं समय पर उपस्थित होना होगा। किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय आदि देय नहीं होगा।
- 7 परीक्षार्थी प्रवेश पत्र में हस्ताक्षर केवल कौशल परीक्षा के दिन, ड्यूटीरत अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष ही करेगे।